



2026:AHC:179144

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन बीएनएसएस धारा 482 के तहत संख्या - 7634 वर्ष

2026

रवि सिंह एवं 2 अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अमरेन्द्र प्रताप सिंह, संतोष कुमार शुक्ला

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार तिवारी, जी.ए., कौशल कान्त दुबे

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. शुक्ला, सूचनाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार तिवारी और राज्य की ओर से पेश विद्वान एजीए के तर्क सुने और अभिलेख का परिशीलन किया।

2. यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 226/2026 (पुलिस थाना शिवपुर, जिला वाराणसी) में आवेदकों की ओर से अग्रिम जमानत की मांग के साथ दायर की गई है और बीएनएस की धाराओं 115(2), 191(2), 352, 351(3), 109(1), 3(5) के तहत दर्ज है।

3. आवेदकों के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पूरी तरह से बेगुनाह हैं और उन्हें इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। कथित अपराध से उनका कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदकों, सह-आरोपी भुवाल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



सिंह और 5-6 अज्ञात लोगों पर सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आरोपियों ने फरसे और लोहे की रॉड से चोटें पहुँचाईं। घायल श्रीनाथ मिश्रा की चिकित्सीय आख्या के अनुसार, उन्हें 12 चोटें आईं, लेकिन उनके शरीर पर फरसे से लगी कोई चोट नहीं पाई गई। चोट संख्या 1 फटने से लगी चोट थी और बाकी चोटें खरोंच और नील पड़ने जैसी थीं। चोट संख्या 1, 7 और 11 को निगरानी में रखा गया और एक्स-रे के लिए भेजा गया। घायल की एक्स-रे आख्या में कोई असामान्यता नहीं पाई गई। आगे यह भी कहा गया है कि इन चोटों से आवेदकों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और अपराध बीएनएस की धारा 115(2) से आगे नहीं जाता है। आवेदकों को जेल में रखने के लिए गलत तरीके से बीएनएस की धारा 109(1) लगाई गई है। अन्य सह-आरोपियों अनिल सिंह और भुवाल सिंह को इस न्यायालय की ही एक अन्य पीठ ने नियमित ज़मानत दे दी है। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने आगे कहा कि आवेदक विवेचना और विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम ज़मानत दी जाती है, तो वे ज़मानत की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, विवेचना में सहयोग करेंगे और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए. ने अग्रिम ज़मानत की आवेदन का विरोध किया है, हालाँकि, वे तथ्यों के पहलू पर कोई विवाद नहीं करते हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के तर्क सुने हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एससीटी दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1** प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अग्रिम ज़मानत देने की आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने, साक्षियों को डराने-धमकाने की संभावना, और न्याय से भागने, जैसे देश छोड़कर भागना आदि की संभावना पर विचार करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि अग्रिम ज़मानत दी जाए या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालयों को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ज़मानत दी जाए या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) 1 उच्चतम न्यायालय वाद 676 प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में लेकर विवेचना करना ज़रूरी हो, या अपराध गंभीर हो, या साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना हो, या आरोपी के भागने की आशंका हो। सिर्फ़ इसलिए कि गिरफ्तारी करना कानूनी है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी करने की शक्ति होने और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। अगर गिरफ्तारी को आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। अगर विवेचनाधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और असल में उसने विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए आरोपी को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

8. अग्रिम ज़मानत से जुड़े विधि के स्थापित सिद्धांतों, पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, आरोपों की प्रकृति, आवेदकों की भूमिका और प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना, अग्रिम ज़मानत का प्रकरण बनता है।

9. इसलिए, अग्रिम ज़मानत की आवेदन को इन निर्देशों के साथ स्वीकार किया जाता है:-

(i) अगर आवेदकों- रवि सिंह और अमर सिंह उर्फ़ टमाटर, जो ऊपर बताए गए प्रकरण में शामिल हैं, को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें विचारण पूरा होने तक अग्रिम ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उन्हें संबंधित पुलिस थाना के थानाध्यक्ष या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो प्रतिभू देनी होंगी;

(ii) आवेदक विवेचना के दौरान विवेचनाधिकारी का सहयोग करेंगे और विवेचना के मकसद से जब भी ज़रूरत होगी, विवेचनाधिकारी के सामने पेश होंगे;

(iii) आवेदक प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं देंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके; और

(iv) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।



10. किसी भी शर्त का पालन न करने या उसका गलत इस्तेमाल करने पर, लोक अभियोजक/विवेचनाधिकारी/सूचनाकर्ता को संबंधित न्यायालय में आवेदकों की अग्रिम ज़मानत निरस्त करने के लिए उचित आवेदन दायर करने की छूट होगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

25 अगस्त, 2026

ललित शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.